(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ) भारत सरकारवित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (कद्रीय प्रत्यक्ष कर बोड) अधिसूचना

नई दिल्ला, ताराख 11 दिसंबर, 2015

आय-कर

का. आ. 3357 (अ) कद्रीय प्रत्यक्ष कर बोड आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का धारा 115पख का उपधारा (7) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अथात् :-

- 1. (1) इन नियम का संक्षिप्त नाम आय-कर (बीसवांसंशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र म प्रकाशन को ताराख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. आय-कर नियम, 1962 म, नियम 12गक के पश्चात निम्नलिखत नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अथात:-

"धारा 115 पख को उपधारा (7) के अधीन विवरण "

- 12गख. (1) किसी विनिधान निधि द्वारा अपने यूनिटधारक को संदत्त या जमा का गई आय का विवरण, किसी विनिधान निधि को ओर से आय के जमा करने या संदाय करने केलिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा और विनिधान निधि द्वारा --
- (i) यूनिटधारक को, पूववर्ता वष, जिसके दौरान विनिधान निधि को ओर से आय जमा करने या संदत्त करने वाले व्यक्ति दवारा सम्यक रूप से सत्यापित प्ररूप सं. 64ग म संदत्त या जमा को गई आय ऐसी राति म जो उसम उपदक्षित को गई है, के पश्चात् वित्तीय वष के तीस जून तक ; और
- (ii) आयकर के प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिसका अधिकारिता के भीतर विनिधान निधि का प्रधान कायालय अवस्थित है, को पूववर्ता वष, जिसके दौरान किसी लेखाकार दवारा सम्यक रूप से उसम उपदेशित राति म सत्यापित प्ररूप सं 64घ म, इलैक्ट्रानिकला डिजिटल हस्ताक्षर के अधीन संदत्त या जमा का गई है, के पश्चात् वित्तीय वष के 30 नवंबर तक दिया जाएगा।
- (2) यथास्थित, आय-कर (प्रणाला) का प्रधान महानिदेशक या आय-कर (प्रणाला) का महानिदेशक, प्रस्प 64घ फाइल करने हेतु प्रक्रिया विनिद्दिष्ट करेगा और इस नियम के अधीन इस प्रकार दो गई संदत्त या जमा को गई आय के विवरणों के संबंध म समुचित सुरक्षा, पुरालेखीय और पुन:प्राप्ति नीतिया को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।
- 3.परिशप्ट -2 मप्रपत्र सं.64खके पश्चात, निम्नलिखत प्रस्प अंतः स्थापित कएजाएंगे, अथातः -

प्ररूप सं. 64ग

(नियम 12गख (1) (i) देख)

आयकर अधिनियम, 1961 को धारा 115पख के अधीन यूनिटधारक को उपलब्ध कराई जाने वालो विनिधान निधि द्वारा वितरित आय का विवरण

- 1 यूनिटधारक का नाम :2 यूनिटधारक पता
- 3 यूनिटधारक को स्थायी लेखा संख्या4. पूववर्ता वष जब समाप्त हो रहा हो :5. विनिधान निध का नाम और पता
- 6. विनिधान निधि को स्थायी लेखा संख्या7. पूववर्ता वष के दौरान यूनिटधारक को विनिधान निधि द्वारा संदत्त या जमा को गई आय के ब्यौरे :

(रुपये म)

कम सं.	संद ि त या जमा क गई रकम	संदाय या जमा करने क ताराख							
			'कारबार या वृत्ति'	'বোঘাবাঁঘ পৃ	जीलाभ'	'अल्पावाध	पूजीलाभ'	'अन्य स्रोत'	
			ના મુખલ	धारा 10(38 म निद् ष ट	अन्य	जिसको धारा 111क लागू होती है	अन्य	'लाभांश' (धारा 115ण म निद्धिट	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

म,(पूरा नाम साफ अक्षरा म) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमात/सुश्री सत्यानण्ठापूवक घोषणा करत
हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधी) म कथन किया गया है, जिसके अंतगत ऐसे उपबंध (उपबंधी) के सार
संलग्न दस्तावेज ह, मेरा सर्वात्तम जानकार। और विश्वास के अनुसार सत्य और पूण है । म और घोषणा करता हूं/करती ह
कि म ऐसे विवरण(पदनाम) के रूप म अपनी हैसियत म दे रहा हूं/रही हूं और म ऐसे विवरण को देने और उर
सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं ।

आज ताराखको सत्यापित ।स्थान:....

हस्ताक्षर

प्ररूप सं. 64घ

(नियम 12गक (1) (ii) देख)

आयकर अधिनयम, 1961 को धारा 115पख के अधीन दो जाने वाली विनिधान निधि दवारा संदत्त या जमा को गई आय का विवरण

1 विनिधान निध का नाम :2 रजिस्ट्रीकृत कायालय का पता

3 विधक है सियत: [कंपनी/न्यास/सीमित दायित्व भागेदारा/निगमित निकाय]

4. स्थायी लेखा संख्या

5. ववता वष जब समाप्त हो रहा हो : 6. विनिधान निध के निदेशकां/न्यां सर्या/भागीदारा के नाम और पते*

क म सं.	नाम	पता
(1)	(2)	(3)

7. (i) यदि भारत के प्रतिभूति और विनमय बोड

हां/नहां *

(अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन एसईबीआई के पास अनुकल्पी विनिधान के रूप म रजिस्ट्रीकृत है

(ii)यदि हां, निम्नलिखित ब्यौर द :(क) यदि वग I/II के रूप म रजिस्ट्रीकृत है

- (ख) रजिस्ट्रीकरण संख्या
- (ग) रजिस्ट्रीकरण को ताराख:
- 8. विनिधान निधि को कुल आय
- 9. (i) पूववर्ता वष का हानियां के ब्यौरे, यदि कोई हो; धारा 115पख का उपधारा (2) के खंड (ii) के अनुसार धारा 115पख के प्रयोजनी के लिए ध्यान न दिया जाना अपेक्षित है:

ऋम सं.	आय का शीष	हानिको रकम
(1)	(2)	(3)

(ii) पूववर्ता वष या वर्षों को हानियों के ब्यौरे, यदि कोई हो; धारा 115पख को उपधारा (2) के खंड (i) के अनुसार पूववर्ता वष को आय के विरुद्ध क्षांतपूर्ति का जानी अपेक्षित है

क्रम सं.	आय का शीष	हानि को रकम	चाल् वष म क्षातिपूर्ति का रकम	अग्रणीत को जाने वाली रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(iii) ऊपर (i) म हानि को ध्यान न देते हुए और ऊपर (ii) पर हानियां का क्षांतपूर्त करने के पश्चात् विनिधान निधि को आय का कुल योग:

(iv) 'कारबार' और 'वृत्ति' शीष के अधीन आय,

क म सं.	रकम	अनुपात [रतंभ 2/ऊपर 9 (iii) पर रकम]		
(1)	(2)	(3)		

(v) "पूंजी लाभ" शीष के अधीन आय

क्रम सं.	वग	रकम	अनुपात[स्तंभ 3/ऊपर 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	धारा 10(38) म निदष्ट दोघावधि		
	पूंजी लाभ		
2.	दाघावाध पूंजी लाभ (अन्य)		
3.	अल्पार्वाध पूंजी लाभ (जिसको धारा		
	111ग लागू होती हो)		
4.	अल्पार्वाध पूंजी लाभ (अन्य)		

(vi) 'अन्य स्रोत' शीष के अधीन आय:

क्रम सं.	वग	रकम	अनुपात[स्तंभ 3/ऊपर 9(iii) पर रकम]
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	लाभांश [धारा 115ण म निदिष्ट]		
2.	अ•्य		

12. धारा 115पख को उपधारा (1) म निद्राप्ट यूनिटधारक होते हुए व्यक्ति के ब्यौरे, जिसके दवारा आय प्राप्त को गई है या जिसके नाम उसे जमा किया गया है:

कम सं.	यूनिटधारक	पता	पैन	संदन्त/जमा क	'कारबार या वृत्ति'	'दांघावाध पूंजी लाभ'	शीष के अधीन	'अल्पावीध पूंजी	लाभ' शीष के अधीन	'अन्य स्रोत' १	शीष के अधीन
	का नाम		संख्या	गई/जमा को गई	शीष के अधीन			आय		आय	
				समझी गई कुल	आय (स्तंभ 5X						
				रकम	क्रम संख्या 9 (iv)						
					पर सारणी						
					कारतंभ 3(1)						
						धारा 10 (38) म	अन्य(स्तंभ 5X	जिसको धारा	अन्य (स्तंभ 5X	लाभांश (धारा	अन्य (स्तंभ
						निद-ट(स्तंभ 5x	क्रम संख्या 9 (v)	111क लागू	कम संख्या 9 (v)	115ण म	5X क म
						क्रम संख्या 9 (v)	पर सारणी का तंभ	होती है (स्तंभ	पर सारणी का तंभ	निद्दार) (स्तंभ	संख्या 9
						पर सारणी कास्तंभ	4(2)	5X द्रम संख्या	4(4)	5X क्र म	(vi) पर
						4(1)		9 (v) पर		संख्या 9 (vi)	सारणी
								सारणी कास्तंभ		पर सारणी	कारतंभ
								4(3)		का तंभ 4(1)	4(2)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोड अनुकल्पी विनिधान निधि) विनियम, 2012 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र क मित संलग्न कर ।
संपरक्षित लेखे जिनके अंतगत तुलनपत्र, वाषिक रिपोट, यदि कोई हो, आय के संदाय या आय के जमा (धारा 115पख(6) के उपबंधी के अनुसार जमा को गई समझी गई रकम सहित) आय और विनियोग को सत्यापित को प्रमाणित प्रति सहित संलग्न कर
म,(पूरा नाम साफ अक्षरों म) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमीत/सुश्री सत्यनिष्ठापूवक घोषणा करत हूं/करती हूं कि जो कुछ भी ऊपर और उपाबंध (उपाबंधा) म कथन किया गया है, जिसके अंतगत ऐसे उपबंध (उपबंधा) के साथ संलग्न दस्तावेज ह, मेरो सर्वात्तम जानकारों और विश्वास के अनुसार सत्य और पूण है । म और घोषणा करता हूं/करती हूं क म ऐसे विवरण(पदनाम) के रूप म अपनी हैसियत म दे रहा हूं/रहा हूं और म ऐसे विवरण को देने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं । आज तारोखको सत्यापित ।स्थान:
जाज ताराखका सत्यापत स्थिग
हस्ताक्षर
सत्यापन
मने/हमनेअनुकल्पी विनिधान निधि का नाम) दवारा यूनिटधारक को संदत्त/जमा को गई आय (धारा 115पख के उपबंधों के अनुसार जमा को गई समझी गई रकम सहित) और अजित आय को विशिष्टयों को दशाने वालो लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों को परोक्षा को है । 2. म/हम घोषणा करते ह कि उपयुक्त विशिष्टियां मेरो/हमारो जानकारों और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।
(लेखाकार का नाम और हस्ताक्षर)
हथान:
नारोख:
टप्पण : 1. "लेखाकार" से आयकर अधिनयम, 1961 को धारा 288 को उपधारा (2) के नीचे स्पष्टांकरण म यथा परिभाषित नेखाकार अभिनेत है2. सभी रकम भारतीय रुपये म वणित को जाने है ।
ं जो लागू न हो, उसे काट द ।
(अधिसूचना सं. 92./2015/फा. सं. 142/22/2015-टोपीएल)

(एकताजैन)

उप साचव(करनी तऔर वधान)

टिप्पण:-- मूर्लानयमांकोभारतकेराजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 3, उपखंड (ii) मर्आधसूचनासंख्याका.आ. 969 (अ), ताराख 28 माच, 1962 द्वाराप्रकाशितकियागयाथाऔरइनमअंतिमसंशोधनअधिसूचनासं.का.आ.3312(अ)ताराख8 दिसंबर, 2015द्वाराकियागयाथा।

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF FINANCE DEPARTMENT OF REVENUE [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES]

Notification

New Delhi, the 11th day of December, 2015

INCOME-TAX

- **S.O. 3357(E).**-In exercise of the powers conferred by section 295 read with sub-section (7) of section 115UB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (20th Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, after rule 12CA, the following rule shall be inserted, namely:-

"Statement under sub-section (7) of section 115UB.

- **12CB.**(1) The statement of income paid or credited by an investment fund to its unit holder shall be furnished by the person responsible for crediting or making payment of the income on behalf of an investment fund and the investment fund to the-
 - (i) unit holderby 30th day of June of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited in Form No. 64C, duly verified by the person paying or crediting the income on behalf of the investment fund in the manner indicated therein; and
 - (ii) Principal Commissioner or the Commissioner of Income-tax within whose jurisdiction the Principal office of the investment fund is situated by 30th day of November of the financial year following the previous year during which the income is paid or credited, electronically under digital signature, in Form No.64D duly verified by an accountant in the manner indicated therein.
- (2) The Principal Director General of Income-tax (Systems) or Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall specify the procedure for filing of Form No. 64D and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the statements of income paid or credited so furnished under this rule."
- 3. In Appendix-II, after the Form No. 64B, the following Forms shall be inserted, namely:--

"FORM NO. 64C

[See rule 12CB (1)(i)]

Statement of income distributed by an investment fund to be provided to the unit holder under section 115UB of the Income-tax Act, 1961

1. Name of the unit holder:

2. Address of theunit holder:

3. Pe	ermane	nt Accou	nt Numbero	of theunit	holde	r:				
4. Pı	evious	year end	ing:							
5. N	ame an	d address	of the Inve	stment F	und:					
6. Pe	ermane	nt Accou	nt Number	of the Inv	estme	ent Fund:				
7. D	etails o	f the inco	me paid or	credited	by the	Investment	Fund to	the unit holde	r during th	ne previous
year	:									
										(In Rs)
S.	Amo	Date of	1	Breakup of	Amoun	nt paid/credite	d under H	Heads of Income		
No.	unt paid	paymen t or	'Business and	'Long Te		'Short Tern Gain'	ı Capital	'Other Sou	rces'	
	or credi ted	credit	Profession ,	Referre d to in Section 10(38)	Oth ers	To which Section 111A applies	Other s	'Dividend' [referred to in Section 1150]	Others	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
I, (Nar 	ne	in edge and	full belief wh	and at is sta	in ted a		do hereb	y solemnly de		er/wife of to the best of the documents
acco state this	mpany ment i stateme	ing such n my cap ent and ve	Annexure(pacity as erify it.	s), is con	rect a	and comple (de	te. I fur esignatio	ther declare th	nat I am f	furnishing such etent to furnish
		•			da	y of				
Plac	e									Signature

FORM NO. 64D

[See Rule 12CB (1)(ii)]

Statement of income paid or credited by investment fund to be furnished under section 115UB of the Income-tax Act, 1961

- 1. Name of the Investment Fund:
- **2.** Address of the registered office:
- **3.** Legal status:

[company/ trust/ limited liability partnership/ body corporate]

- 4. Permanent Account Number:
- **5.** Previous year ending:
- 6. Name and address of the Directors/ Trustees/ Partners of the Investment fund*:

S. No	Name	Address
(1)	(2)	(3)

- **7. (i)** Whetherregistered as Alternative Investment Fund with SEBI under Yes/No* the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012:
- (ii) If Yes, furnish following details:
 - (a) Whether registered as Category I/II
 - (b) Registration number
 - (c) Date of registration
- **8.** Total Income of Investment Fund:
- **9.** (i) Details of losses of the previous year, if any; required to be ignored for purposes of section 115UB(1) in accordance with clause (ii) of sub-section (2) of section 115UB:

S. No.	Head of Income	Amount of loss
(1)	(2)	(3)

(ii) Details of losses of preceding previous year(s), if any; required to be set off against the income of the previous year in accordance with clause (i) of sub-section (2) of section 115UB:

S.	Head of Income	Amount of loss	Amount set off in current	Amount to be carried
No.			year	forward
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- (iii) Aggregate of income of Investment fund after ignoring the loss in (i) above and setting off of losses at (ii) above:
- (iv) Income under head 'Business & Profession':

S.No.	Amount	Proportion[Column 2/Amount at 9(iii) above]			
			l		

(1)	(2)	(3)

(v)Income under head 'Capital Gain':

S.N	Category	Amount	Proportion
0.			[Column 3/Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Long TermCapital Gain referred to in Section 10(38)		
2	Long TermCapital Gain [Others]		
3	Short TermCapital Gain [To which Section 111A applies]		
4	Short TermCapital Gain [Others]		

(vi)Income under the head 'Other Sources':

S.	Category	Amount	Proportion
No			[Column 3/Amount at 9(iii) above]
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dividends [referred to in Section 115-O]		
2	Others		

12. Details of person being a unit holder, referred to in sub-section (1) of section 115UB by whom the income is received or in whose name it has been credited:

S.	Name of Unit	Addr ess	PAN	Total	Income under	Income under 'Long Term (Income under 'Short Term (Income unde	
No	Holder			amo unt	the head 'Busines s or	Gains'		Gains'			
				paid/ credi ted/ Dee med to be credi ted	Professi on [Column 5 × Column 3(1) of Table at s.no. 9(iv)]	Referred to in Section 10(38) [Column 5 × Column 4(1) of Table at s.no. 9(v)]	Others [Colum n 5 × Colum n 4(2) of Table at s.no. 9(v)]	To which Section 111A applies [Column 5 × Column 4(3) of Table at s.no. 9(v)]	Others [Colum n 5 × Colum n 4(4) of Table at s.no. 9(v)]	'Dividend' ' [referred to in Section 115-O] [Column 5 × Column 4(1) of Table at s.no. 9(vi)]	Column 5 × Column 4(2) of Table at s.no. 9(vi)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Anach a copy of the certific Regulations, 2012.	ale of registration under se	ecurities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds)
Attach audited accounts inc towards payment of incom	e or credit of income [in	ual report, if any, with certified copies of income and appropriation ecluding amount deemed to have been credited in accordance with
provisions of section 115 UI	B(6)].	
Ī		(Name in full and in block letters)
son/daughter/wife of		(Name in full and in block letters) do hereby solemnly declare that to the best of my
knowledge and belief what	is stated above and in the A	Annexure(s), including the documents accompanying such Annexure(s),
		that I am furnishing such statement in my capacity
as	(designation) and	I that I am competent to furnish this statement and verify it.
XX 101 1 . 1 .1	1 6	
Verified today the		
Place	Signature	
		Verification
I/We		have examined the books of account and other
documents showing the part	ticulars of income earned a	nd the income paid / credited [including amount deemed to have been
credited in accordanc	e with provisions	of section 115 UB(6)] to the unit holder by
		(name of the Alternative Investment Fund) for the previous year
ending	··	
5 T/XX 1 1 .1 .1 1	1	
2. I/We declare that the above	e particulars are true and co	orrect to the best of my/our knowledge and belief.
Place	 (Signature with name of the	(Accountant)
Date	(2.8	
Notes: 1. "Accountant" m	eans the accountant as def	fined in the Explanation below sub-section (2) of section 288 of the
Income-tax Act, 19	61.	
2. All amount to	be mentioned in Indian Rup	ees
* Strike out whichever is no	t applicable."	
		[Notification No. 92/2015/ F.No.142/22/2015-TPL]

(Ekta Jain)
Deputy Secretary (Tax Policy and Legislation)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 969(E), dated the, 26th March, 1962 and last amended vide notification number SO No 3312(E) dated the 8th December, 2015.